

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3287 / 1जी-FP/UK/ROAD/10384/2015 देहरादून: दिनांक: 16 मई, 2015

सेवा में,

अपर सचिव, वन

उत्तराखण्ड शासन

विषय:- जनपद अल्मोड़ा में चेलछीना से प्राथमिक पाठशाला चुपड़ा तक
मोटर मार्ग - 2.365 है 0 आरक्षित, सिविल एवं पंचायती वन भूमि
हस्तांतरण (FP/UK/ROAD/10384/2015)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया
गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से
प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद मे 5 है 0 से कम तथा प्रति है 0 50 से कम वृक्ष
प्रभावित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव पर राज्य सरकार के स्तर से सैद्धांतिक स्वीकृति
प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस.टी.एस.ले प्चा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

संख्या : / 1जी-FP/UK/ROAD/10384/2015 तददिनांकित

प्रतिलिपि:

- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
- मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल
- अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग / पी0एम0जी0एस0वाई, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा
- जिलाधिकारी, अल्मोड़ा
- प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा
- अधिशासी अभियंता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

(एस.टी.एस.ले प्चा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम:

जनपद अल्मोड़ा में चेलछीना से प्राथमिक पाठशाला चुपड़ा तक मोटर मार्ग – 2.365 है 0 आरक्षित, सिविल एवं पंचायती वन भूमि हस्तांतरण (FP/UK/ROAD/10384/2015)

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा में धुरकादेवी कक्ष सं01 में 0.9 है 0 आरक्षित वन भूमि, 1.3037 है 0 पंचायती वन भूमि तथा 0.1613 है 0 सिविल वन भूमि कुल 2.365 है 0 वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मार्ग निर्माण में वृक्ष आच्छादित भूमि को न्यूनतम रखने का प्रयास किया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित आरक्षित, पंचायती व सिविल वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त ने भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की है। प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 5 है 0 से कम तथा प्रति है 0 50 वृक्ष से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के मद्देनज़र, जनहित में, उपरोक्त वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक स्वीकृति राज्य सरकार स्तर से प्रदान करने हेतु संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस0टी0एस0लेखा भा.व.से)
अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं

नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड

दहरादून

तिथि : 16 / 05 / 2015

स्थान: दहरादून

भाग-III
 वैलंगिना से प्राइमरी पाठ्याला तुष्ण तक ऑफमार्ग ३ कि.मी.
 (प्रस्ताव संख्या १०३४५) २०१५

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14— स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है?
 (हॉ / नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

नहीं

15— क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख मैं दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हॉ सहमत

16— प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले ०-१० व १०-२० व्यास श्रेणी के सभी वृक्षों का प्रस्ताव विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्रों में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित वृक्षों की सुरक्षा हेतु आवश्यक समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

दिनांक १५/२०१५
 स्थान:— अल्मोड़ा।

(संतोष विजय शर्मा)

वन संरक्षक

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्था:

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र: उत्तराखण्ड

(ii) जिला: लखनऊ

(iii) जिला वन प्रभाग: सिविल वन्स का उत्तराखण्ड कर्मसु

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र चैतारी से छापाठभाला तक

17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रारिथित: भा.वा. ०.९००० वाला ।। ३०३७ सिविल-०.१६५३

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा: वॉइ, कोर्ट, बुल = २.३६० हेक्टर

(i) वन का प्रकार: झुंझुराहर

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व: ०.१४

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराव जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना: दुलारा है

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा: कोई नहीं

19. भूक्षण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थिताकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी: उत्तराखण्ड के लम्फावन नहीं

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी: शून्य

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्वा: कोई नहीं

(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा मरुष्यका बंगला जीव विभाग नहीं

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे अत्प्रवास आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के व्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए): नहीं

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोगित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए): नहीं

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोगित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए): नहीं

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खत्तर में अलग किसी के खत्तरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके व्यौरे कोई नहीं.

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्त्वीय या विरासती स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थानों या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए संरक्षण प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका व्यौरा दें): नहीं

23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें:

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। कोई नहीं

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। शून्य

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/ नहीं) ✓
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विलम्ब की गई कार्यवाही नहीं
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/ नहीं) ✓

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

- (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति। तुलसी तीरा ३२५४५
(ii) अवधिस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। संलग्न है।
- (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में अल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। संलग्न है।
- (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/ नहीं) ✓

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : ₹. ४८७००/-

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान न किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उंपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न है (हां/ नहीं) ✓

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/ नहीं) ✓

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों की स्वीकृति संलग्न है (हां/ नहीं) ✓

स्वागत - अभिष्ठा:

तिरिचूर - २७५/१५

इमारीय वनाधिकारी
विविध एवं सोयम वन प्रशासन,
तिरिचूर,

प्रारूप-7

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from ~~आधिकारीक वन प्रशासन भवन~~ (for diversion i FCA-1980) of ~~लग्ना का~~ ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land construction of ~~लग्ना का~~ शालास्त्रालय ~~लग्ना का~~ लग्ना का ~~लग्ना का~~ km. The site inspection of the land involved in the proposal been done by me on dated ~~20-4-15~~

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/C forests measuring ~~2.5~~ ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is the minimum required for the project.

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details thereof

No.

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.


b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) A 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(नोट:- प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्थानी/टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित की जाय) ~~लग्ना का~~ लग्ना का जाने लग्ना का

Place:- ~~लग्ना का~~

Date..... ~~20-4-15~~

(Signature) 

Name: ~~प्रभागीय वनाधिकारी~~
Designation: ~~एवं सायम वन प्रशासन~~
Office Seal ~~लग्ना का~~

B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

per letter number 2-2/2000 FC darter 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UK-0292/2015

1. Location of the project/Scheme : Uttarakhand

- (i) State / Union Territory : Uttarakhand
- (ii) District : Almora
- (iii) Forest Division : Civil Soyam,Almora
- (iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 2.365
- (v) Category : Road

2. Legal status of forest land proposed for diversion :

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Civil Soyam,Almora	0.9	Reserved Forest
2	Civil Soyam,Almora	1.3037	Protected Forest
3	Civil Soyam,Almora	0.1613	Civil Soyam land

Division 1. : Civil Soyam,Almora

3. District wise area to be diverted in the division :

S. No.	District	Area(ha.)
1	Almora	2.365

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion :

(ii) Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	2.365	0.4	Eco 5

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Pinus roxburghii	chir	0	07	08	30	41
2	Grewia optova	Bhimal	0	05	0	0	0

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion : No Data**6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : erosion of 2.635 ha. forest area for public use****7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : No Data****8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :**

- (i). **Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion :** there is no wild life present in the forest land
- (ii). **Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve,tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. :** No
- (iii). **Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified,then,10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ):** No
- Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve,**

- (iv). elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No
- (v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any :

- (i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion :

- (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed :

- (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : No Data

13. Details of compensatory afforestation scheme :

- (ii). Total Financial Outlay for C.A: 887000
- (iii). Whether the land identified by User Agency is suitable for CA and from managementpoint of view?: Yes
- (iv). Copy of certificate regarding suitability of land identified for CA and from management point of view: [Annexure regarding suitability of land](#)
- (v). Copy of detailed CA scheme including species to be planted,implementing agency,time schedule,cost structure etc.: [Annexure CA scheme including species to be planted](#)

Additional information Details :

S. No.	Documents	Remarks
	NIL	

14. District Profile :

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non-forest land (in ha.)
1	Almora	3689.30	1309.43	135.448	39	20.48996	20/04/2015	0	0

15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land :

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Civil Soyam,Almora	North Kumaun	DFO	Yes	One	Site Inspection Report	20/04/2015
	North Kumaun	CF	No		No Data	

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV))

16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason :

Division	Circle	Recommendation	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF

		By				agreed
Civil Soyam,Almora	North Kumaun	DFO	Recommended	there 2 village and 136 families and 678 population are getting this facility	Recommendation letter	
	North Kumaun	CF	Recommended	The Proposal is in Public Interest. As per Proposal 136 families of 2 villages will be benefited, hence recommended.	Recommendation letter	Yes

[Print page](#)

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,1980 for Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details

A- Project Details

1.

(i). Proposal No. : FP/UK/ROAD/10384/2015

(ii). Name of Project for which Forest Land is required : chelchina to primary school chupra motor road

(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : construction of chelchina school to chupra motor road length 3.00 km

(iv). State : Uttarakhand

(v). Category of the Project : Road

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear

(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 53.4

(viii). Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.): 2.365

(ix). Total Area of Non-Forest Land proposed for diversion(in ha.): 0.335

(x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): NIL

A- Details of User Agency

2.

(i). Name : EXECUTIVE ENGINEER

(ii). Address1 : Provincial Division P.W.D., Almora

(iii). Address2 : Mall Raod Almora

(iv). State : Uttarakhand

(v). District : Almora

(vi). Pin : 263601

(vii). Landmark : Chaughan Pata, Almora

(viii). Email address : eepdalmora@rediffmail.com

(ix). Landline Telephone No. : 2320033

(x). Fax No. : 5962

(xi). Mobile No. : 9456104668

(xii). Website (if any) : NIL

(xiii). Details of Proposals seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land submitted by the User Agency in the past :
No

(xiv). Legal status of User Agency : State Government

A- Details of Person Making Application
3.

(i). First Name: Chandan

(ii). Middle Name: Singh

(iii). Last Name: Negi

(iv). Gender: Male

(v). Designation: Executive Engineer

(vi). Address 1: Executive Engineer, Provincial Division, Public works Department, Almora

(vii). Address 2: Mall Road Almora

(viii). State: Uttarakhand

(ix). District: Almora

(x). Tehsil: Almora

(xi). Pin: 263601

(xii). Landmark: Chaughan Pata, Almora

(xiii). Email Address: eepdalmora@rediffmail.com

(xiv). Landline Telephone No.: 230033

(xv). Fax No.: 059622320033

(xvi). Mobile No.: 9456104668

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency:

[Annexure U.A Document](#)

B. Details of land required for the Project

B- Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in
1. the past

(i). Whether any proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land required for the project has been submitted in the past?. : No

B- Details of forest land proposed to be diverted
2.

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Civil Soyam,Almora	2.365	0.335

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Almora	2.365	0.335

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Dhurka devi RF	0.9	0
2	Tikar	0.2063	0.335
3	Chupra	1.2587	0

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	01 Motor Road	2.365	0.335

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Civil Soyam,Almora						
(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 2.365						
(ii). : Linear						
(b). No. of Segments : One						
Segment wise details						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Segments</th> <th>Segment Area(in ha.)</th> <th>Kml File of Segments</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>2.365</td> <td>Annexure Segment1</td> </tr> </tbody> </table>	Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments	1.	2.365	Annexure Segment1
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments				
1.	2.365	Annexure Segment1				
(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: Annexure Survey of India Toposheet						
(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: Annexure scanned copy of the Geo-referenced map						

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

(i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land : [Annexure Justification](#)

(ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided: Yes

(a). Copy of map indicating location of alternative examined: [Annexure alternative examined](#)

E. Employment likely to be generated

(i). Whether the Project is likely to generate employment ?: Yes

(ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 10

(iii). Temporary Employment(Number of person-days): 30

F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ? : No

I. Status of Wildlife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : Yes

(a). Copy of documentary evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted: [Annexure Documentary Evidence](#)

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: Yes

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted ?: No

(iii). No. of districts involved for raising Compensatory Afforestation: 1

(iv). No. of patches: One

(v). Scanned copy of the map of the land identified for creation of Compensatory Afforestation prepared by using GPS or Total Station: [Annexure GPS or Total Station](#)

(vi). Copy of Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation: [Annexure Survey of India Toposheet](#)

Additional information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1	Additional Info.	Attachment 2 1
2	Additional Info.	Attachment 2 2
3	Additional Info.	Attachment 2 3
4	Additional Info.	Attachment 2 4
5	Additional Info.	Attachment 2 5
6	Additional Info.	Attachment 2 6
7	Additional Info.	Attachment 2 7
8	Additional Info.	Attachment 2 8
9	Additional Info.	Attachment 2 9
10	Additional Info.	Attachment 2 10
11	Additional Info.	Attachment 2 11
12	Additional Info.	Attachment 2 12
13	Additional Info.	Attachment 2 13
14	Additional Info.	Attachment 2 14
15	Additional Info.	Attachment 2 15
16	Additional Info.	Attachment 2 16
17	Additional Info.	Attachment 2 17
18	Additional Info.	Attachment 2 18
19	Additional Info.	Attachment 2 19
20	Additional Info.	Attachment 2 20
21	Additional Info.	Attachment 2 21
22	Additional Info.	Attachment 2 22
23	Additional Info.	Attachment 2 23
24	Additional Info.	Attachment 2 24
25	Additional Info.	Attachment 2 25
26	Additional Info.	Attachment 2 26
27	Additional Info.	Attachment 2 27
28	Additional Info.	Attachment 2 28
29	Additional Info.	Attachment 2 29
30	Additional Info.	Attachment 2 30
31	Additional Info.	Attachment 2 31
32	Additional Info.	Attachment 2 32
33	Additional Info.	Attachment 2 33
34	Additional Info.	Attachment 2 34
35	Additional Info.	Attachment 2 35
36	Additional Info.	Attachment 2 36
37	Additional Info.	Attachment 2 37

38	<u>Additional Info.</u>	Attachment 2 38
39	<u>Additional Info.</u>	Attachment 2 39
40	<u>Additional Info.</u>	Attachment 2 40
41	<u>Additional Info.</u>	Attachment 2 41
42	<u>Additional Info.</u>	Attachment 2 42
43	<u>Additional Info.</u>	Attachment 2 43

[Print page](#)

परियोजना का नाम—जनपद अल्मोड़ा में जागेश्वर के अन्तर्गत चेलछीना बाजार से प्राथमिक पाठशाला चुपड़ा तक मोटर मार्ग। लम्बाई— 3.00कि०मी०

प्रपत्र-15

संलग्नक ५-२-६

लैण्ड शेड्यूल(आरक्षित वन भूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ल्काक का नाम	परियोजना की लम्बाई(मी०मे०)	चौड़ाई (मी०मे०)	क्षेत्रफल (है०)
अल्मोड़ा	सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा	श्री मनोज सनवाल	धुरका देवी कम्पाट सं० १	1000	9	0.9000 है०

प्रान्तीय खण्ड

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

सहायक प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

वनाधिकारी
जागेश्वर, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

अमीन
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम—जनपद अल्मोड़ा में जागेश्वर के अन्तर्गत चेलछीना बाजार से प्राथमिक पाठशाला चुपड़ा तक मोटर मार्ग। लम्बाई— 3.00कि०मी

संलग्नक सं०-२६ A

प्रपत्र-15.1
लैण्ड शेड्यूल

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०/ खाता सं०	कुल रकवा (है०में)	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (है०)
सिविल एवं सोयम	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	टिकर	154,155,158, 163	69.7400	179	9	0.1613
वन पंचायत भूमि	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	टिकर	153	14.2863	50	9	0.0450
योग वन भूमि	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	चुपड़ा	33	39.8800	1399	9	1.2587
नाप भूमि	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	—	—	123.9063	1628	9	1.4650
कुल योग					—	372	9	0.3350
					2000	—	9	4.500

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

अमीन
प्रान्तीय खण्ड,लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

जिला वाधिकारी
तहसील अल्मोड़ा।

जिला वाधिकारी
उप जिलाधिकारी
जैती

तहसीलदार
जैती

राजस्व उपनिरीक्षक

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक — 2606 / 12-1 अल्मोड़ा, दिनांक, 14.05.2015.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी
देहरादून।

विषय :- चैलछीना से प्राईमरी स्कूल चुपरा मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव संख्या 10384 / 2014)।

संदर्भ :- आपकी आपत्ति दिनांक 08.05.2015।

महोदय,

विषयगत मार्ग से सम्बन्ध में आप द्वारा सूचित आपत्तियों के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक 3376 / 12-1 दिनांक 11.05.2015 से सूचित आपत्ति का निस्तारण कर अभिलेख संलग्न किया है। प्रभागीय वनाधिकारी का पत्र, मय संलग्नक, संलग्न प्रेषित है—

संलग्नक— उपरोक्तानुसार (1 से 2)।

भविदीय

(संतोष विजय शर्मा)

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmofo@rediffmail.com Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक 3373 / 12-1 दिनांक, अल्मोड़ा, 11/5/2015



सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुगाँऊ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषय :- चेलछीना से प्राईमरी स्कूल चुपड़ा मोटर मार्ग का निर्माण का प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या 10384 / 2014)।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 2523 / 12-1 दिनांक 08.05.2015।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अनुरोध है कि उक्त विषयक प्रकरण में चाही गरी वन पंचायत समिति का अनापत्ति प्रमाण—पत्र संलग्न कर सेवा में प्रेषित की जा रही है।

संलग्न—उक्तानुसार।

महोदय

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविलएवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

वन पंचायत समिति का अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक २५/०५/२०१५ को चैलाईना से

प्राथमिक पाठशाला चुपड़ा तक मोटर मार्ग के सम्बंध में वन पंचायत समिति वन पंचायत चुपड़ा की बैठक आहूत की गई, बैठक में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन पंचायत ग्राम चुपड़ा की भूमि लोक निर्माण विभाग को दिये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

वन पंचायत समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर

1 गणेश

2 द्वितीय

3 हर्षा द्वितीय

4 रवि मुली द्वितीय

5 द्वितीय

अंगनवीर

(सरपंच)
चुपड़ा